संख्या-32/2016-सा-3-768/दस-2016-944/88टी0सी0-।

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2016

विषयः- दिनांक **17 दिसम्बर, 2016 को पेंशनर्स दिवस** मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विज्ञप्ति संख्या-13/2015-सा-3-631/दस-2015-944/ 88, दिनांक 24 जून, 2015 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय प्रस्पारित किया गया है कि प्रति वर्ष **17 दिसम्बर** का प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **पेंशनर दिवस** आयोजित किया जायेगा।

2- गत वर्ष दिनांक **17 दिसम्बर, 2015** को प्रदेश में पहली बार **पेंशनर दिवस** का आयोजन किया गया, परन्तु विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार **पेंशनर दिवस** के आयोजन में कई कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रतिभाग नही किया गया। कुछ जनपदों में, विभिन्न कार्यालयो के कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इससे **पेंशनर दिवस** की प्रभावोत्पादक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक **17 दिसम्बर, 2016 को आयोजित होने वाले पेंशनर दिवस** को प्रभावकारी एवं सार्थक रूप से आयोजित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4- उक्त के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिले के

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

सभी पेंशनर्स संगठनों के पदाधिकारियों को आयोजन में अवश्य आमंत्रित किया जाये तथा उन्हें अपनी समस्यायें एवं सुझाव देने का अवसर दिया जाये तथा जिले के विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया जाये। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा आयोजन में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। जिन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा स्वयं प्रतिभाग नही किया जाता है, उनका स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाये।

चर्चा में उठाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं को कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुये यह इंगित किया जाये कि उसके संबंध में किस प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है एवं उनका नियमित अनुश्रवण किया जाये। कार्यवृत्त की प्रतिलिपि पेंशनर संगठनों, जिला के विभागाध्यक्षों/प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों, निदेशक पेंशन तथा वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 को पृष्ठांकित की जाये।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-32/2016-सा-3-768(1)/दस-2016-944/88टी0सी0-।, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

(2)- निदेशक, कोषागार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को **"ई-मेल"** के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करे।

(3)- समस्त अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन उ0प्र0।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

-3-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-32/2016-सा-3-768(2)/दस-2016-944/88टी0सी0-1, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का समुचित प्रसार एवं प्रचार करा दें।

(2)- संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति, उ0प्र0, 51 मानस विहार, कुर्मांचल नगर, लखनऊ।

(3)- गर्वनमेण्टर पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाईजेशन, उ0प्र0, एच0आई0जी0, 80/23, रूचि खण्ड-1, शारदा नगर, लखनऊ।

(4)- उ0प्र0 राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, बी-1/81, सेक्टर "जी" अलीगंज, लखनऊ।

(5)- पी0सी0एस0 (रिटायर्ड) आफिसर्स एसोसियेशन, उ0प्र0, 32-बी, अग्निपथ, ए0डी0ए0 कालोनी, 07 सप्रू रोड, इलाहाबाद।

(6)- उ0प्र0 सचिवालय, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसियेशन, 54 कैण्ट् रोड, उदयगंज, लखनऊ।

(7)- उ0प्र0 पुलिस पेंशनर्स कल्यापण संस्थासन, 19/47, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(8)- सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ, उ0प्र0 राजभवन, 630, अलंकार सिनेमा रोड, लखनऊ।

(9)- सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसियशन, उ0प्र0 19/76 इन्दिरा नगर लखनऊ।

(10)- उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था, 51 मानस विहार, कुर्मांचल नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

-4-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या-13 /2015/सा-3-631/दस-2015-944/88

लखनऊ : दिनाँक : 24 जून, 2015

विज्ञप्ति

राज्य सरकार के पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं की जनपद स्तर पर सुनवाई एवं निराकरण हेतु प्रति वर्ष दिनाँक 17 दिसम्बर को एक बार पेंशनर दिवस पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में आयोजित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- पेंशनर दिवस जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जायेगा, जिसका समन्वयन जनपद के मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा। पेंशनर दिवस में जनपद के प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष भी प्रतिभाग करेंगे, ताकि पेंशनरों की ऐसी समस्यायें जिनका निराकरण कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किया जाना है, की भी सुनवाई हो सके एवं उन पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

3- उपर्युक्त निर्धारित पेंशनर दिवस की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार निदेशक, पेंशन, निदेशक, कोषागार एवं जनपद के कोषाधिकारियों द्वारा किया जायेगा, ताकि पेंशनर दिवस प्रभावकारी एवं सार्थक रूप से आयोजित हो सके।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2015/सा-3-631(1)/दस-2015-944/88, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in